(c) Keeping in view the storage capacity and the prevailing local conditions, FCI Watch and Ward staff, State Armed Police and Central Industrial Security Force are deployed to guard the Corporation's godowns.

Regular checks on out-going and in-with gate passes. A procedure for locking coming vehicles are done totally stocks sealing and opening of the godowns has been laid down. Services of local law enforcing agencies are also being utilised as and when required. For vulnerable depots, police patrolling is arranged. Physical verification of stocks and surprise inspections of godowns are conducted on regular basis.

(d) The theft cases are referred to the Police authorities for investigation and prosecutions are launched whereever necessary. In addition to that, departmental action is also taken against the delinquent officials.

देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये जारी किये गये लाइसेंस

2133. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले एक वर्ष के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये स्वीकृत किये गये और जारी किये गये लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं जिन्हें नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु आवेदन किया है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे लाइसेंसों को जारी किये जाने के लिये कोई समिति गठित की गई है; यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या है ; और

(ङ) लाइसेंस जारी करने के लिये क्या आधार है और अन्य क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं और क्या यह इस तरह के लाइसेंस जारी करते समय सभी शर्तों का अनुपालन किया गया था?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पिछले चीनी वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, 1993-94 के चालू चीनी मौसम के दौरान 9 आशय पत्र जारी किये गये हैं । इनका विस्तृत ब्यौरा विवरण-1 में है । **(नीचे देखिए)**

(ग) 31-8-1993 की स्थिति के अनुसार उन व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आवेदन किया है, अनुपत्र में दी गई **(देखि** परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 51.)

(घ) खाद्य मंत्रालय ने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये उद्यमियों से प्राप्त लंबित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा के लिये एक जांच समिति का गठन किया है । उक्त समिति की संरचना विवरण-2 में है । **(नीचे देखिए)** इसके बाद जांच समिति की सिफारिशों पर उद्योग मंत्रालय में इस उद्देश्य के लिये गठित लाइसेंस समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

(ङ) केन्द्र सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है । दिनांक 8-11-1991 के प्रेस नोट के तहत जारी किये गये इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति विवरण-3 में है ।

विवरण–1

कम्पनी का नाम	स्थान
1. मै० इसजैक कोवेमा प्लास्टिक्स लि०	कमोदा, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा
2. हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल परिसंघ लि०	गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा
3. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०	इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा
4. हरीसन मलयालम लि०	डाका, जिला पूर्वी चंपारन, बिहार
5. श्री सनत-भाई मगनलाल मेहता	कडछाला, तहसील जैतपुर पानी, जिला वड़ोदरा, गुजरात
6. श्री सहदेव बी.चौधरी	इसर, तहसील माडवी, जिला सूरत, गुजरात
7. इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि० (इपीकोल)	बांकी, तहसील बांकी, जिला कटक, उड़ीसा
8. इंडो यूरोइंडस्ट्रीज लि०	गांव बडोरा, जिला बैतुल, मध्य प्रदेश
9. श्री विंध्या पेपर मिल्स लि०	सानावाड, तहसील बरघाहा जिला खरगोन, मध्य प्रदेश

विवरण–2

नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये उद्यमियों से प्राप्त संचित आवेदन पत्रों की संवीक्षा के लिये खाद्य मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की संरचना

1. संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2. मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय	सदस्य
3. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	सदस्य
4. कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय	सदस्य
5. मुख्य निदेशक (उद्योग) (एन.सी.डी.सी.) नई दिल्ली	सदस्य
6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
8. योजना आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
9. औद्योगिक विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
10. उप सचिव (एसडीएफ), खाद्य मंत्रालय	सदस्य
11. उप निदेशक (शर्करा तकनीकी) शर्करा निदेशालय	सदस्य सचिव

जब किसी आवेदन पत्र पर जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है उस समय संबंधित राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को भी बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है ।

विवरण–3

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रैस नोट संख्या 16

(1991 सीरीज)

विषय: चीनी वर्ष 1991–92 और 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–93–– 1996–97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत ।

भारत सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय के प्रैस नोट संख्या 4 (1990 सीरीज), दिनांक 23–7–90 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की है। उपर्युक्त प्रैस नोट का अधिक्रमण करते हुए सरकार ने निम्नलिखित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं :––

(1) नई चीनी फैक्ट्रियों को न्यूनतम 2500 मीटरी टन प्रतिदिन गन्ना पेरने (टी०सी०डी०) की लाभकारी क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते रहेंगे। ऐसी क्षमता के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। तथापि, भारत सरकार द्वारा जिन क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है और जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गन्ने के विकास के लिए कृषि मौसमी दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित किया गया है, वहां सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में 1750 टी०सी०डी० की प्रारंभिक क्षमता के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि ये यूनिट उत्पाद शुरू करने की 5 वर्षों की अवधि के अंद अपनी क्षमता का 2500 टी०सी०डी तक विस्तार कर लेंगे ।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों के लि लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए जायें कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री औ वर्तमान/पहले लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्र के बीच दूरी 25 किलोमीटर होनी चाहिए तथापि, 25 किलोमीटर की दूरी की इ कसौटी में ऐसे विशेष मामलों में रियाय देकर उसे 15 किलोमीटर किया जा सकत है जहां गन्ने की उपलब्धता की दृष्टि ऐसा करना उचित हो ।

(3) नये चीनी यूनिटों के लि लाइसेंस प्रदान करने हेतु मूल कसौट मुख्यतया गन्ने की उपलब्धता और गन्ने विकास के लिए संभाव्यता की दृष्टि उनकी सक्षमता होगी ।

(4) सभी नए लाइसेंस इस शर्त साथ जारी किए जायेंगे कि गन्ने का मूल गन्ने के सुक्रीज तत्व के आधार पर दे होगा ।

(5) अन्य बातें समान रहने प लाइसेंस प्रदान के बारे में निजी क्षेत्र क अपेक्षा सहकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र क इसी क्रम में तरजीह दी जाएगी ।

यदि परिचालन के किसी जोन से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं त उस दशा में पहले प्राप्त हुए आवेदन प को प्राथमिकता दी जाएगी । तथापि ऐसे मामलों में भी, पहले सहकारी क्षे को और उसके बाद सरकारी क्षेत्र क तथा उनके बाद निजी क्षेत्र को इसी क्र में तरजीह दी जाएगी हालांकि पहले द क्षेत्रों से आवेदन पत्र बाद की तारीख कं ही क्यों न प्राप्त हुए हों।

(6) उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमत तक विस्तार करने के लिए 2500 टी सी०डी० से कम क्षमता की चीनी फैक्ट्र को प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

(7) नये यूनिटों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं योजना के अंत तक अर्थात् 1996-97 के अंत तक सृजित की जानी वाली अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा ।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे अर्थात् औद्योगिक एल्कोहल आदि के इस्तेमाल के लिए डाऊन स्ट्रीम यूनिटों को आसानी के साथ औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जायेंगे ।

(ख) सर्वप्रथम लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों की खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी । ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के टिप्पण भी प्राप्त किये जायेंगे । राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासन को अपने टिप्पण खाद्य मंत्रालय में पत्र प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के अन्दर भेजने होंगे ।

(ग) नई चीनी फैक्टरियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों के अनुसार में विस्तार करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई०एल० में 2500/- रुपये की विहित फीस के साथ औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को सीधे ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये । आवेदन पत्र की एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाये ।

(घ) ऊपर उल्लिखित कार्यविधि और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों की जानकारी और मार्गदर्शन हेतु उनके नोटिस में लाये जाते हैं ।

हस्ता०/-
(एस० भवानी)
उप सचिव, भारत सरकार

[फा०सं० 10(74)/91-एल०पी०]
नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1991

पत्र सूचना कार्यालय को उपर्युक्त प्रैस नोट की विषय वस्तु को व्यापक प्रचार करने हेतु प्रेषित ।

मुख्य सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नई भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम प्रणाली

2134. **श्रीमति सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम में श्रमिकों से संबंधित काम अभी भी ठेका श्रम प्रणाली के अधीन कराया जा रहा है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से काम कराया जा रहा है और किन-किन राज्यों में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त की जा चुकी है ; और

(ग) क्या सरकार की इस समय खाद्यान्न के लदान और उतराई के लिये कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर सीधे कार्य कराने की कोई योजना है, यदि हां, तो उसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी राज्यों में ठेकेदारों सहित विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से निरन्तर मजदूर रखे जा रहे हैं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूरों को रोजगार पर लगाने पर रोक लगाने के लिये ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन उपयुक्त प्राधिकरण श्रम मंत्रालय ने अब तक भारतीय खाद्य निगम के ऐसे 193 केन्द्रों को अधिसूचित किया है जहां पर ठेका मजदूरों को रोजगार पर लगाने पर रोक लगा दी गई है । उनमें से 78 केन्द्रों में